तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/3/21	वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 10/3/21 को पेश हो।	
10.03.21	वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायिक अवमानना पेश हुई। प्रार्थी ने न्यायिक अवमानना का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि खसरा सं. 230/0.04 वाके ग्राम माधोगढ़ में स्थित है। जिसके संबंध में एक वाद अदालती मुकुट बिहारी बनाम अली मोहम्मद वगै० विचाराधीन है। उक्त वाद में आराजी खसरा सं 230/0.04 पर निर्माण कार्य न करने की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ है। गैरसायल द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के बावजूद आदेशों की अवहेलना करते हुये पत्थर डालकर, क्यारी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। जिसका सत्यापन हल्का पटवारी द्वारा निरीक्षण दिनांक 21/10/20 की मौका रिपोर्ट में किया है। इस प्रकार गैरसायल ने न्यायालय आदेश की अवमानना की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायिक अवमानना के लिए कानूनी दंड दिया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के विरुद्ध सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने पर दिनांक 04/12/20 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी की तरफ से साक्ष्य के रूप में संतराम पुत्र विराम सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दर्ज तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्व वाद 75/2020 अदालती मुकुट बिहारी बनाम अली मोहम्मद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.20 को एकपक्षीय बहस सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस बाबत की जारी की गई है कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा सं- 230/0.04 पर निर्माण कार्य न करे। उक्त वाद में अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। इस प्रार्थना पत्र के संबंध मे प्रार्थी ने मौके की कोई फोटो अथवा मौका कमिश्नर रिपोर्ट संलग्न नही की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटवारी मौका रिपोर्ट में भी पत्थर डालकर अतिक्रमण करने का वर्णन है। जबकि अतिक्रमण कब किया है इसका कोई वर्णन नही है। क्योंकि मौका पर्चा रिपोर्ट में "अतिक्रमण कर रखा है" को "अतिक्रमण कर रहे है" से बिना कोई हस्ताक्षर प्रतिस्थापित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की जा
	मौका पर्चा पर किसी भी आमजन/ मौके पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर नहीं है। अत: मौका पर्चा के आधार पर न्यायिक अवमानना होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायिक अवमानना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा० द० हो।	
	उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)	

Scanned with OKEN Scanner